

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 926 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 27 / 10 / 2014)

म.प्र. राज्य,  
द्वारा आरक्षी केन्द्र — मौ  
जिला—भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन ।

/// विरुद्ध ///

01. बंटी गुर्जर पुत्र जहान सिंह गुर्जर उम्र 28 वर्ष  
निवासी :- ग्राम अतरसोहा, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियुक्त ।

/// निर्णय ///

( आज दिनांक : 07 / 01 / 2017 को घोषित )

01. अभियुक्त बंटी गुर्जर पर भा.द.सं. की धारा 457 एवं 511 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक 13/07/2014 को रात्रि लगभग 01 बजे फरियादी जयकुमार का मकान स्थित ग्राम अतरसोहा में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने या कारावास से दण्डनीय कोई अन्य अपराध करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया एवं फरियादी जयकुमार के घर में चोरी करने का प्रयत्न किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 13/07/2014 को रात्रि लगभग 01 बजे फरियादी जयकुमार का मकान स्थित ग्राम अतरसोहा में, आरोपी बंटी गुर्जर द्वारा फरियादी जयकुमार के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी जयकुमार द्वारा दिनांक : 14/07/2014 को दोपहर 01:40 बजे आरोपी बंटी गुर्जर के विरुद्ध थाना मौ की चौकी झॉकरी में जीरो पर अपराध क्रमांक 0/2014 अन्तर्गत धारा 457 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। तत्पश्चात् उक्त जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना मौ में दिनांक : 14/07/2014 को ही आरोपी के विरुद्ध असल अपराध क्रमांक 253/2014 अन्तर्गत धारा 457 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी जयकुमार एवं साक्षी शिवकुमार के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त बंटी गुर्जर के विरुद्ध धारा 457 एवं 511 भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से सारतः इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपी ने दिनांक :- 13/07/2014 को रात्रि लगभग 01 बजे फरियादी जयकुमार का मकान स्थित ग्राम अतरसोहा में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने या कारावास से दण्डनीय कोई अन्य अपराध करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी जयकुमार के घर में चोरी करने का प्रयत्न किया?

03. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. इन विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में सर्वप्रथम यह अभिनिश्चित किया जाना है कि क्या आरोपी बंटी द्वारा घटना दिनांक एवं समय पर फरियादी जयकुमार के घर में प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन या रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया? इस वावत् फरियादी जयकुमार शर्मा अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह हाजिर अदालत आरोपी बंटी गुर्जर को जानता है। घटना दिनांक : 13/07/2014 के रात्रि लगभग 01 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह घर की छत पर सो रहा था, रात के करीबन एक बजे उसके घर में रखे बक्से के खुलने जैसी आवाज आई, तो उसकी नींद खुल गई। उसने अपने भाई शिवकुमार को जगाया। फिर वह लोग नीचे आये तो उसने आवाज लगाई कि कौन है? तब उसने अपने घर के अन्दर से एक आदमी को भागते हुए देखा और उसे पहचान लिया, वह आदमी उसके गांव का हाजिर अदालत आरोपी बंटी गुर्जर था। साक्षी आगे कहता है कि वह उसके घर में चोरी की नियत से घुसा था, उसने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी झांकरी में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में फरियादी जयकुमार अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि घटना दिनांक को उसने एवं उसके भाई ने आरोपी को पहचाना था। साक्षी आगे कहता है कि उसके घर में आने-जाने का एक मात्र रास्ता मुख्य दरवाजा है, अन्य कोई आने-जाने का रास्ता नहीं है। उक्त मुख्य दरवाजे में अन्दर की ओर से शांकर वाली कुन्दी लगी है, यदि कोई व्यक्ति बाहर से धक्का देकर उक्त कुन्दी को खोलना चाहे, तो वह कुन्दी नहीं खुल सकती। साक्षी आगे कहता है कि जब वह लोग घर की छत पर सोने जाते हैं, उस समय घर के मुख्य दरवाजे की शांकर अन्दर से लगाकर जाते हैं। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी बंटी घटना दिनांक को उसके पड़ोस की उसकी छत से मिली छत से होकर उसके घर में घुसा था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी जयकुमार अ.सा.01 का कहना है कि उसके घर की छत पड़ोसी राजकिशोर, विजय शंकर एवं नाथूराम चौबे की छतों से मिली हुई है और उक्त पड़ोसियों की छत पर घटना दिनांक एवं समय पर कोई नहीं सो रहा था। साक्षी आगे कहता है कि पड़ोसी नाथूराम का जीना उसके गौड़ा में बना हुआ है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ-जा सकता है और नाथूराम के जीने पर कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी छत पर से मकान में नीचे आने के लिए जो जीना बना हुआ है, उसमें छत पर कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में जयकुमार अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यदि उसके घर में कोई व्यक्ति घुस आये तो वह व्यक्ति जीने से होकर या मुख्य दरवाजे से होकर ही बाहर जा सकता है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने एवं उसके भाई ने आरोपी को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया था। तत्पश्चात् साक्षी का स्वतः कहना है कि यदि वह और उसका भाई आरोपी को पकड़ने का प्रयास करते और उसके पास कोई हथियार होता तो वह उन लोगों पर हमला कर सकता था। आरोपी को देखकर भी ना पकड़ने का जयकुमार अ.सा.01 का उक्त स्पष्टीकरण दर्शित परिस्थितियों में सत्य एवं सद्भाविक प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रति-परीक्षण उपरांत भी जयकुमार अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य इस वावत् अखण्डित रहा है कि दिनांक : 13-14/07/2014 की रात्रि लगभग 01 बजे आरोपी बंटी गुर्जर ने फरियादी जयकुमार की पड़ोस की उसके छत से मिली छत से होकर उसके घर में प्रवेश किया। फरियादी जयकुमार के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपी ने फरियादी जयकुमार के पड़ोसी की छत से फरियादी की छत पर आकर उस पर बने जीने से फरियादी के घर में प्रवेश किया, जो कि फरियादी एवं उसके परिवारीजनों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रवेश के लिए आशयित नहीं था और इस प्रकार आरोपी ने फरियादी जयकुमार के घर में रात्रौ गृह भेदन किया।

10. साक्षी शिवकुमार अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी बंटी गुर्जर को जानता है। घटना दिनांक :- 13-14/07/2014 के रात्रि लगभग 01 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह एवं उसका भाई छत पर सो रहे थे, तभी भाई साहब जयकुमार को आवाज सुनाई दी और उसके भाई ने उसे जगाया।

तत्पश्चात् वह दोनों छत से नीचे उतरकर आये और उसके भाई ने आवाज लगाई कि कौन है? तो घर से एक आदमी भागता हुआ नजर आया, उसे उन लोगों ने पहचान लिया, उसका नाम बंटी गुर्जर था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी बंटी उसके घर में चोरी की नियत से घुसा था। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में शिवकुमार अ.सा.02 का कहना है कि घटना दिनांक को उसके मुख्य दरवाजे पर शांकर लगी थी, जो बाहर से खुल जाती है। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा कि उसके बाद एक और बाहरी गेट है, जिस पर लोहे की कुंदी थी, जो बाहर से नहीं खुलती। साक्षी आगे कहता है कि उसके घर के पीछे नाथूराम चौबे का गौड़ा है, जिसमें नाथूराम के पशु बंधे थे। उक्त गौड़ा में जीना लगा है, जिसमें कोई भी आसानी से आ-जा सकता है। इस प्रकार साक्षी शिवकुमार अ.सा. 02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी इस वावत् अखण्डित रहा है कि दिनांक : 13-14/07/2014 की रात्रि लगभग 01 बजे आरोपी बंटी गुर्जर ने फरियादी जयकुमार एवं साक्षी शिवकुमार के घर में मुख्य दरवाजे को छोड़कर ऐसे किसी दरवाजे से प्रवेश किया, जो कि फरियादीगण या उनके परिवारीजन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए आशयित नहीं था। शिवकुमार अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से इस वावत् जयकुमार अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में फरियादी जयकुमार अ.सा.01 ने तथा प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में साक्षी शिवकुमार अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों से सारतः इन्कार किया है कि उन्होंने आरोपी बंटी को चुनावी रंजिशवश झूठा फंसाया है। उल्लेखनीय है कि रंजिश एक ऐसा तथ्य है, जिसके कारण किसी व्यक्ति द्वारा यदि झूठी रिपोर्ट किया जाना संभव है, तो उसके प्रतिपक्षी द्वारा उसके विरुद्ध अपराध किया जाना भी उतना ही संभव है। इसलिए रंजिश के तथ्य का कोई लाभ आरोपी को प्रदान नहीं किया जा सकता।

13. अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक निहाल सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 14/07/2014 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक सुनील कुमार ओ.पी. झॉकरी ने उसे अपराध क्रमांक 00/2014 अन्तर्गत धारा 457 भा.द.सं. की एफआईआर आरोपी बंटी गुर्जर पुत्र जहान सिंह गुर्जर, निवासी : अतरसोहा के विरुद्ध असल कायमी हेतु पेश करने पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 253/2014 अन्तर्गत धारा 457 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी निहाल सिंह अ.सा.03 की उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 के तथ्यों से हो रही है। निहाल सिंह अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य इस वावत् सारतः अखण्डित रहा है और उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी जयकुमार अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है।

14. अभियोजन साक्षी श्रीकृष्ण अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 13/07/2014 को पुलिस चौकी झॉकरी, थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने फरियादी जयकुमार की रिपोर्ट पर आरोपी बंटी गुर्जर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/2014 अन्तर्गत धारा 457 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा मूल कायमी हेतु एफआईआर थाना मौ भेज दी थी, जिस पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 253/2014 अन्तर्गत धारा 457 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध हुई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 14/07/2013 को फरियादी जयकुमार के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी जयकुमार एवं साक्षी शिवकुमार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिनमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था तथा दिनांक : 16/09/2014 को न्यायालय परिसर गोहद से आरोपी बंटी गुर्जर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में श्रीकृष्ण अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि उसे फरियादी जयकुमार ने नक्शा-मौका बनवाते समय यह नहीं बताया था कि आरोपी उसके घर में किस संभावित रास्ते से आया था। नक्शा-मौका बनाये जाते समय फरियादी द्वारा मात्र उस संभावित रास्ते का जिससे आरोपी ने उसके घर में प्रवेश किया, विवेचक को ना बताया जाना, चक्षुदर्शी साक्षी के आरोपी द्वारा उसके घर में गृह भेदन कर प्रवेश करने के तथ्य को खण्डित नहीं करता है। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा फरियादी के आस-पास के मौहल्ला, पड़ोस के किसी व्यक्ति का कथन अंकित नहीं किया है। सामान्य रूप से पड़ोसी एक ही गांव के फरियादी एवं आरोपी व्यक्तियों के मामलों में पड़कर साक्ष्य देने को प्राथमिकता नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी साक्ष्य देने से आरोपी या फरियादियों से रंजिश उत्पन्न हो जाने का भय होता है। इसलिए मात्र फरियादियों के पड़ोसियों के कथन विवेचना के दौरान लेखबद्ध ना किये जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सत्यता पर नहीं पड़ता है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में श्रीकृष्ण अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जो व्यक्ति किसी प्रकरण की एफआईआर दर्ज करता है, वह उसकी विवेचना नहीं करता। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि वह चौकी झॉकरी पर अकेला प्रधान आरक्षक था, इसलिए उसके द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई। श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया उक्त स्पष्टीकरण दर्शित परिस्थिति में सत्य एवं सद्भाविक प्रतीत होता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक द्वारा प्रकरण की विवेचना किये जाने से अभियोजन कथा तथा विवेचक श्रीकृष्ण अ.सा.04 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सत्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार प्रति-परीक्षण उपरांत भी श्रीकृष्ण अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है और उसके अभिसाक्ष्य से फरियादी जयकुमार अ.सा.01 तथा साक्षी शिवकुमार अ.सा.01 के घटना दिनांक,

समय एवं स्थान पर आरोपी बंटी गुर्जर द्वारा फरियादी जयकुमार के घर में रात्रौ गृह भेदन करने के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

16. द्वितीयतः यह अभिनिश्चित किया जाना है कि क्या आरोपी ने उक्त रात्रौ गृह भेदन चोरी करने या कारावास से दण्डनीय कोई अपराध कारित करने के आशय से किया था और क्या आरोपी ने फरियादी जयकुमार के घर में चोरी करने का प्रयत्न किया?

17. इस वावत् जयकुमार अ.सा.01 एवं शिवकुमार अ.सा.02 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में सारतः यह दर्शित किया है कि घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उन्हें घर में रखे बक्से के खुलने जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे उनकी नींद खुल गई। नीचे आकर उन्होंने आरोपी बंटी को घर के अन्दर से भागते हुए देखा और वह चोरी करने की नियत से उनके घर में घुसा था। फरियादी जयकुमार अ.सा.01 एवं साक्षी शिवकुमार अ.सा.02 द्वारा उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में मात्र यह दर्शित कर दिया जाना कि आरोपी चोरी करने की नियत से उनके घर में घुसा था, यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपी चोरी करने के आशय से उनके घर में प्रविष्ट हुआ था। फरियादी जयकुमार अ.सा.01 एवं शिवकुमार अ.सा.02 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है कि आरोपी अन्य कोई अपराध करने के आशय से उनके घर में प्रविष्ट हुआ था। विवेचना के दौरान विवेचक श्रीकृष्ण अ.सा. 04 द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं की गई, जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी बंटी गुर्जर ने फरियादी जयकुमार के घर में किस वस्तु की चोरी करने का प्रयत्न करते हुए ऐसा क्या विशिष्ट कृत्य किया था, जो “ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करने” की कोटि में आता हो। विवेचक श्रीकृष्ण अ.सा.04 द्वारा ऐसी भी कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं की गई, जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी बंटी फरियादी जयकुमार के घर में चोरी से इतर कोई अन्य अपराध करने के आशय से प्रविष्ट हुआ हो।

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह प्रकट होता है कि अभियोजन संदेह से परे यह तो प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक : 13-14/07/2014 की रात्रि लगभग 01 बजे आरोपी बंटी ने फरियादी जयकुमार के मकान स्थित ग्राम अतरसोहा में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया, परन्तु अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त गृह भेदन चोरी करने या कारावास से दण्डनीय कोई अन्य अपराध कारित करने के आशय से किया, साथ ही अभियोजन संदेह से परे यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आरोपी बंटी ने फरियादी जयकुमार के घर में चोरी करने का प्रयत्न किया।

### अंतिम निष्कर्ष

19. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी बंटी गुर्जर के विरुद्ध धारा 511 एवं 457 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी बंटी गुर्जर को धारा 511 एवं 457 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। परन्तु अभियोजन आरोपी बंटी गुर्जर के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 456 के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, फलतः आरोपी बंटी गुर्जर को धारा 222 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार धारा 456 भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।

20. आरोपी बंटी गुर्जर को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये कृत्य से रात्रि के दौरान नागरिकों के घर में प्रवेश करने की घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आरोपी बंटी गुर्जर को परिवीक्षा का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

21. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपी बंटी गुर्जर के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

22. आरोपी के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी अधिवक्ता श्री अखिलेश समाधिया का कहना है कि वह ग्रामीण पृष्ठभूमि का अशिक्षित एवं युवा व्यक्ति है। आरोपी अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये। आरोपी अधिवक्ता के तर्क सदभाविक प्रतीत न होने से अस्वीकार किये गये और आरोपी बंटी गुर्जर को धारा 456 भा.द.सं. के अपराध के लिए 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी बंटी गुर्जर द्वारा अर्थदण्ड न चुकाये जाने की दशा में अर्थदण्ड के एवज् में 15 दिवस का सश्रम कारावास मूल कारावास के दण्डादेश से पृथक से भुगताया जावे।

23. आरोपी को कारावास का दण्ड भुगतने के लिए सजा वारंट के माध्यम से उपजेल गोहद भेजा जाये।

24. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, अवधि के संबध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे और उक्त अवधि उसकी मूल कारावास के दण्डादेश की अवधि में से कम की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

**(पंकज शर्मा)**  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

**(पंकज शर्मा)**  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद